

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.10.2021

## शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लक्ष्मण पुत्र अयोध्या प्रसाद निरो ग्राम दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-330 / 21, 02. अटल निषाद पुत्र रामसागर निरो ग्राम दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-331 / 21, 03. रमई पुत्र मोहन कोरी निरो ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-332 / 21 धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सतीराम पुत्र रामदेव खटिक निरो बसन्तपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-346 / 21 धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुकई निरो ग्राम बांसगांव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-292 / 21 धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.10.2021**

**लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला—फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त दीपू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. दीपू तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी नि० बांसगांव पूरे भुजई थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—३६६ / 21, धारा 363.366 भादवि व ३(२)(५) एस०सी०एस०टी० एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.10.2021**

**जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफतार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त— राम सुधर शुक्ला उर्फ कुन्दन शुक्ला को गिरफतार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने आपसी विवाद के चलते वादी अम्बुज शुक्ला के भाई पंकज शुक्ला के ऊपर जान से मारने की नियत से पेट में चाकू से वार कर दिया था।

**गिरफतार अभियुक्त—**

01. राम सुधर शुक्ला उर्फ कुन्दन शुक्ला पुत्र राम इन्द्रा शुक्ला नि0 ग्रा0 दर्जीजोत मौजा करमडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0स0—345 / 21, 307.324.323.504 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफतार कर्ता टीम—**

उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.10.2021**

**दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी राकेश कुमार की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. अजय कुमार शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला नि0 डिडिसिया बुर्द थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—279/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.10.2021**

**आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त राजाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादिनी गीता देवी के पिता को पैसे की लेन देन की बात को लेकर गाली—गुप्ता देते हुए आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादिनी के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राजाराम पुत्र बसन्त निरो रेतादल सिंह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—220 / 21, धारा— 504,506,306 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उर्निरो बब्बन सिंह मय टीम।

